

दिनांक 12 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

एफटीए पर बातचीत

3863. श्री सुधाकर सिंह:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार वर्तमान में यूके सहित अन्य देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीएएस) पर बातचीत कर रही है, जिसके तहत आयात शुल्क में उल्लेखनीय कमी प्रस्तावित है;
- (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त कर कटौती के कारण राजस्व पर अनुमानित प्रभाव से सम्बंधित आंकड़े क्या हैं;
- (ग) उक्त एफटीए के तहत किन प्रमुख उत्पाद श्रेणियों पर आयात शुल्क कम करने का प्रस्ताव है और प्रतिशत के संदर्भ में संभावित औसत कमी क्या है;
- (घ) क्या सरकार ने भारत में निर्मित उत्पादों पर उक्त समझौतों के संभावित प्रभाव का आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) सरकार 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' के तहत परिकल्पित लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए उक्त समझौतों को किस प्रकार संतुलित कर रही है ताकि घरेलू उद्योग को किसी भी प्रकार का नुकसान न हो?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ङ) सरकार में व्यापार समझौतों पर वार्ता करना एक अनवरत प्रक्रिया है। वर्तमान तिथि तक, इसने 15 मुक्त व्यापार समझौतों और 6 अधिमान्य व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में, सरकार ने 24 जुलाई, 2025 को भारत-यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (सीईटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका कार्यान्वयन पुष्टि के उपरांत किया

जाएगा। इसके अलावा, भारत-ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) पर बातचीत पूरी हो चुकी है। चल रही बातचीत की सूची अनुबंध में दी गई है।

भारत-यूके सीईटीए, भारत से यूके को होने वाले लगभग 99 प्रतिशत निर्यात को अभूतपूर्व शुल्क-मुक्त पहुंच प्रदान करता है, जो व्यापार मूल्य का लगभग 100% है। इसमें वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, रत्न एवं आभूषण, और खिलौने जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों के साथ-साथ इंजीनियरिंग वस्तुओं, रसायन और ऑटो कंपोनेंट जैसे उच्च-वृद्धि वाले क्षेत्र भी शामिल हैं। इससे बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा, कारीगरों, महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों और एमएसएमई को सशक्त बनाया जाएगा। सेवा क्षेत्र, जो भारत की अर्थव्यवस्था का एक मजबूत चालक है, को भी व्यापक लाभ होगा। यह समझौता आईटी और आईटी-सक्षम सेवाओं, वित्तीय और विधिक सेवाओं, पेशेवर और शैक्षिक सेवाओं, और डिजिटल व्यापार में बेहतर बाजार पहुंच प्रदान करता है। भारत ने डबल कंट्रीव्यूशन कन्वेंशन पर भी एक समझौता किया है। इससे भारतीय पेशेवरों और उनके नियोक्ताओं को ब्रिटेन में तीन साल तक के लिए सामाजिक सुरक्षा भुगतान से छूट मिलेगी। इस संबंध में विभाग द्वारा जारी प्रेस नोट <https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=154945&ModuleId=3> पर देखा जा सकता है।

भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के लिए बाजार पहुंच, पेशेवरों के लिए गतिशीलता आदि सहित विभिन्न नीतिगत क्षेत्र चल रही वार्ता का हिस्सा हैं। भारत ने अपनी 89.5% टैरिफ लाइनें खोल दी हैं, जो कृषि और औद्योगिक दोनों क्षेत्रों सहित ब्रिटेन के 91% निर्यात को कवर करती है। तथापि, ब्रिटेन के निर्यात मूल्य का केवल 24.5% ही तत्काल शुल्क-मुक्त बाजार पहुंच का लाभ उठा सकेगा। भारत ने अपने संवेदनशील क्षेत्रों- डेयरी, अनाज और बाजरा, दालें, सब्जियां और कुछ आवश्यक तेल की सुरक्षा की है। रणनीतिक बहिष्करण में महत्वपूर्ण ऊर्जा ईंधन, समुद्री जहाज, पुराने कपड़े और महत्वपूर्ण पॉलिमर और उनके मोनोफिलामेंट, स्मार्टफोन, ऑप्टिकल फाइबर भी शामिल हैं – जो किसानों, एमएसएमई और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए एक मजबूत रुख है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उत्पाद - विशेष रूप से वे उत्पाद, जिनमें मेक इन इंडिया और पीएलआई जैसी प्रमुख पहलों के तहत घरेलू क्षमता का निर्माण किया जा रहा है- को धीरे टैरिफ में कमी के साथ 5,7 या 10 वर्षों की अवधि में रियायतें प्रदान की जाएंगी।

टैरिफ कटौती से एफटीए के दोनों साझेदार देशों के लिए राजस्व पर प्रभाव अनुमानित है। मध्यम से दीर्घावधि में व्यापार की मात्रा में वृद्धि, निवेश प्रवाह, भारतीय निर्यात की बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धात्मकता और समग्र आर्थिक विकास से इसकी भरपाई होने की उम्मीद है। इसके अलावा,

संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए समझौते को सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है, और व्यापार-आधारित विकास को बढ़ावा देने के व्यापक उद्देश्य के अंतर्गत संभावित राजस्व निहितार्थों पर विचार किया गया है।

मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) मुख्य रूप से संबंधित व्यापारिक साझेदार देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ाने के उद्देश्य से किए जाते हैं, ताकि बाजार पहुँच का दायरा बढ़ाया जा सके और व्यापार एवं निवेश बढ़ाने के लिए व्यापारिक अनुपूरकताओं का निर्माण किया जा सके, जिससे निर्यात क्षमता में वृद्धि हो, उद्योग, किसानों, एमएसएमई को लाभ हो और रोज़गार के अवसर पैदा हों। एफटीए पर वार्ता इस प्रयास के साथ की जाती है कि निष्पक्षता और पारस्परिकता के सिद्धांत पर आधारित एक व्यापक, संतुलित, व्यापक और न्यायसंगत समझौता हो। यह व्यापारिक साझेदार देशों में भारतीय निर्यातकों और उनके प्रतिस्पर्धियों के लिए साथ समान अवसर भी सुनिश्चित करता है।

घरेलू उद्योग के हितों की रक्षा के लिए, एफटीए उन वस्तुओं की संवेदनशील, नकारात्मक या बहिष्कृत सूची बनाए रखने का प्रावधान करते हैं जिन पर सीमित या कोई टैरिफ रियायतें नहीं दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त, आयात में वृद्धि और घरेलू उद्योग को नुकसान होने की स्थिति में, किसी देश को एफटीए के तहत पक्षों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत अवधि के भीतर आयात पर एंटी-डंपिंग और सुरक्षा उपायों जैसे व्यापार सुधारात्मक उपायों का सहारा लेने की अनुमति है। एफटीए में व्यापार में तकनीकी बाधाओं से संबंधित प्रावधान शामिल हैं ताकि दोनों पक्षों के मानकों, तकनीकी विनियमों और पारदर्शिता बढ़ाने के उपायों के बारे में आपसी समझ को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अतिरिक्त, एफटीए गैर-तकनीकी बाधाओं को दूर करते हैं, जिससे भारतीय वस्तुओं के लिए निर्यात बाजारों तक सुगम और अधिक प्रभावी पहुँच संभव होती है। एफटीए में उभरती वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप समीक्षा के लिए उप-समितियाँ शामिल हैं।

क्र.सं.	समझौते का नाम
1	भारत- व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (भारत- ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए का विस्तार)
2	भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता
3	भारत-श्रीलंका आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता
4	भारत-पेरू मुक्त व्यापार समझौता
5	भारत-चिली व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता
6	भारत और न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता
7	भारत और अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौता (बीटीए)
8	आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौता (एआईटीआईजीए) (समीक्षा)
9	भारत-कोरिया सीईपीए (समीक्षा)
